Mr. Speaker: I am giving no promises. He must rest assured that there is nothing in my mind, and I never carry any ill-will, any rancour, any malice against any Member of the House. Whatever might happen here, that is left here. I request other hon. Members also to just leave those things here and not to take them outside.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Let me assure you, Sir, that nobody in the House ever thinks that you can carry anything in your mind at all.

Mr. Speaker: I am so grateful to the hon. Member's remarks.

REPRESENTATION OF PEOPLE (SECOND AMENDMENT) BILL*

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): On behalf of Shri A. K. Sen, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

Mr. Speaker: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."

The motion was adopted.

Shri Jaganatha Rao: I introduce the Bill.

13.45 hrs.

MOTION RE. REPORT OF BACKWARD CLASSES COMMISSION

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय....

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । यह प्रतिवेदन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर काफी समय मिलना चाहिये

अध्यक्ष महोदय : इसको शुरू तो होने दीजिये, यह भी देख लिया जायगा ।

श्री रामसेवक यादव : इसका ताल्लुक 36 करोड़ इंसानों से है और वे जो समय दिया गया है वह बहुत थोड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए शुरू नहीं करना चाहते हैं, इसको ?

श्री मौर्य (अलीगढ़) : शुरू होने से पहले मैं भी एक प्रार्थना करना चाहता हूं। इस देश के 65 प्रतिशत लोगों का जिस से सम्बंध है, उस कमीशन की रिपोर्ट एक तो बारह बरस के बाद प्रकाश में आई हैं और जब आई भी है तो श्रीमन्, उस के लिए दो घंटे देना बिल्कुल भी उचित नहीं है और कम से कम इसके लिए पन्द्रह घंटे दिए जाने चाहियें। जो समय इस सेशन में दिया जा सकता हो, दिया जाए, बाकी अगले सैशन में, जब वह प्रारम्भ हो, दे दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : यही बात तो मैं कह चुका हूं । अफसोस की बात है कि जब एक बात एक बार कही जा चुकी है तो फिर उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है । वह बात हाउस के सामने आ गई है और मैंने यकीन भी दिलाया है कि इसको शुरू होने दीजिये और देख लिया जाएगा । हाउस मालिक है अपने वक्त का और अगर हाउस और वक्त चाहेगा तो और वक्त भी मिल जाएगा । जैसे हाउस की मर्जी होगी वैसा ही होगा । आज जितना हो सकेगा, उतना आज इसको दे दिया जाएगा और फिर इस को अगले सैशन में हम जारी रखेंगे ।

श्री मौर्य : बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

---

*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II, section 2, dated 3-10-1964.